स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश–283203

दिनांक– 24 फरवरी, 2020

सेवायोजन विज्ञप्ति

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को **वाक–इन–इन्टरव्यू (Walk-in-Interview)** पद्धति से **संविदा (Contractual)** के आधार पर भरे जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पदो की संख्या निम्नवत् है–

क्र. स.	विशिष्टता का नाम	आचार्य		सह–आचार्य		सहायक–आचार्य	
		पदों की संख्या	वर्ग / श्रेणी	पदों की संख्या	वर्ग / श्रेणी	पदों की संख्या	वर्ग / श्रेणी
1	ऑर्थोपेडिक्स	1	अनु0जाति	-	-		
	आब्स एण्ड गायनी					1	अन्य पिछड़ा वर्ग
2	ब्लड बैंक	1	सामान्य	-	-		
3	एनेस्थिसिया	-	-	1	सामान्य	1	सामान्य
4	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	1	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	अन्य पिछड़ा वर्ग
5	जनरल मेडिसिन	-	-	1	सामान्य		
6	जनरल सर्जरी	-	-	1 1	अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1 1	अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
	स्किन एण्ड वी0डी0					1	अनु0जाति
7	पीडियाट्रिक्स	1	अनु0जाति	-	-		
8	पैथोलोजी	-	-	1	सामान्य	1	अन्य पिछड़ा वर्ग
9	फार्माकोलॉजी	1	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	1	अनु0जाति
10	माइक्रोबायोलॉजी	1	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-		
11	रेडियो डायग्नोसिस	-	-	1	अनु0जाति	1	अन्य पिछड़ा वर्ग
	कुल योग	05		07		09	

नोटः– किसी भी विभाग में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एम0सी0आई0 के मानकों की पूर्ति एवं निकट भविष्य में प्रस्तावित एम0सी0आई0 के औचक निरीक्षण कि दृष्टिगत साक्षात्कार के समय अन्य श्रेणी के उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थी से उक्त पद को न्यूनतम एक वर्ष की अवधि अथवा नियमित/अगली नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, से भर लिया जायेगा।

अर्हताएं एवं वेतनमान :–

1. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतहायें– "As per MCI norms."
4. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यो को शासनादेश संख्या–104/2016/5044(1)271–1–2019–जी–63/2008 दिनांक 21.12.2019 के अनुसार नियत वेतन रु0 135000/–, सह–आचार्यो को नियत वेतन रु0 120000/– एवं सहायक आचार्यो का नियत वेतन रु0 90000/– प्रतिमाह है। वेतन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र संख्या 250/2018/4067/ 71–1–2017–जी–63/2008, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजकीय चिकित्स शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु, निर्गत शर्तो के अधीन नियत वेतन रु0 220000/– प्रतिमाह दिया जायेगा। सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को Medical Council of India, Minimum, Qulification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1999 द्वारा निर्धारित शैक्षिक आर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसेक अतिरिक्त चयनित अभ्यार्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
5. चिकित्सा शिक्षक को पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।

6. एम0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा सहायक–आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
7. ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेगें।
8. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
9. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
10. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
11. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की नियमित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
13. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात नियमित शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढाया जा सकेगा।
14. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा।
16. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
17. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकी है।
18. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा, शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
19. साक्षाकात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
20. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
21. पदों की संख्या घटायी या बढायी जा सकती है।
22. इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक–25.02.2020 को एवं तदोपरान्त प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हो सकते है।

प्रधानाचार्य